# फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर) जयपुर

मोहनलाल बनाम आंचल कन्ना

...संख्या/वर्ष दावा 65/2018

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 7/6/24 | पत्रावली पेश हुई वकील उभय पक्ष उपस्थित<br>प्रार्थी/प्रतिवादी वकील ने अपनी बहस मे<br>प्रा०पत्र 07 R11 CPC में अंकित तथ्यों को दोहराते प्रस्तुत स्वीकार करते<br>हुऐ वादी का वाद खारिज किये जाने हेतु निवेदन<br>किया है। अप्रार्थी/वादी ने अपनी बहस में कहा<br>कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी सं. 1 के पिता से<br>जरिये इकरारनामा दिनांक 26/9/1987 मे खरीदी<br>है। मौके पर वादी का कब्जा है अतः प्रार्थी/प्रतिवादी<br>का प्रार्थना पत्र 07 R11 CPC खारिज किया जावे।<br>पत्रावली, राजस्व रिकार्ड, इकरारनामा, प्रा०पत्र 07 R11 CPC<br>का आद्योपान्त अवलोकन करने व वकील उभयपक्ष<br>की बहस का मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर<br>पहुँचे है कि वादी ने वादग्रस्त आराजी ख०न०<br>196/538 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम गंवार ब्राह्मणान<br>तहसील सांगानेर जिला जयपुर को प्रतिवादी संख्या 1<br>के पिता ईश्वर सिंह से जरिये अंजीकृत इकरारनामा<br>दिनांक 26/9/1987 मे खरीदी है। जिसका हाल ख०न०<br>378 रकबा 0.45 है० बने है वर्तमान जमाबन्दी<br>सम्वत 2073-2076 वाके ग्राम गंवार ब्राह्मणान<br>तहसील सांगानेर जिला जयपुर के खाता संख्या 10<br>मे आराजी ख० न० 378 रकबा 0.45 है० मे ईश्वरसिंह<br>पुत्र किशनसिंह कौम राजपूत सा० हाल जयपुर दर्ज है।<br>प्रार्थी/वादी इकरारनामा दिनांक 26/9/1987 के आधार<br>पर स्वंय को अधिकार सृजित होना कहता है वादी<br>ने अपंजीकृत फोटो प्रति ~~की~~ इकरारनामा दावे मे पेश<br>की है। जिसमे मोहनलाल पुत्र श्री छीतर तथा<br>मोहरू पुत्र रामपाल आयु 6 साल नाबालिग बवलायत<br>संरक्षक रामपाल जातिय कुम्हार (प्रजापत) निवासीयान<br>ग्राम गंवार ब्राह्मणान पंचायत वाटिका तहसील सांगानेर<br>जिला जयपुर के पक्ष विक्रय इकरार होना अंकित<br>है जो अपंजीकृत इकरारनामा है। प्रथम दृष्टया<br>अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर राजस्थान<br>काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वादी को<br>खातेदारी अधिकार सृजित नही होते है वादी | |

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

# फर्द अहकाम

न्यायालय

बनाम

मुकदमा संख्या/वर्ष : / 20

| क्र०सं० | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|---|---|---|
| | | ने ऐसा कोई दस्तावेजात, रिकार्ड, अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जिससे उसका कब्जा साबित हो। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या-1 का प्रा०पत्र 07 R11 CPC स्वीकार किया जाता है। अतः आदेश दिये जाते है कि प्रतिवादी संख्या-1 का प्रार्थना पत्र 07 R11 CPC स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है। पृथक से पर्चा डिक्री तैयार कर पेश करे। निर्णय आज दिनांक 7/6/24 का खुले न्यायालय में सरे आम सुनाया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>जयपुर द्वितीय (सांगानेर) |

यालय

या

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही